रबी मौसम में ऋणी कृषकों द्वारा योजना से अलग होने के लिए संबंधित बैंक में लिखित में घोषणा पत्र देने की अंतिम तिथि

24 दिसम्बर 2022

ऋणी कृषक द्वारा फसल परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित वित्तीय संस्थान में देने की अंतिम तिथि

29 दिसम्बर 2022

रबी मौसम के लिए ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि

31 दिसम्बर 2022

फसल बीमा हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए

बैंक शाखा | e-Governance Services India Limited | www | सहकारी समिति | कृषि विभाग

बैंक शाखा/**CSC**/**www.pmfby.gov.in**/सहकारी समिति/कृषि विभाग अथवा टोल फ्री नम्बर **1800 266 0700** या विज़िट करें **www.hdfcergo.com** अथवा भारत सरकार से जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर **1800 180 1551** पर सम्पर्क करें।

स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरान्त नुकसान की सूचना अथवा दावे की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया अपने एंड्रॉइड फोन में GET IT ON Google Play द्वारा

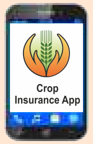

डाउनलोड करें।

ई-मेल: **pmfby.rajasthan@hdfcergo.com**

टोल फ्री नं.: **1800 2660 700**

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड. आईआरडीएआई रजि. नं. 146, CIN: U66030MH2007PLC177117. पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय: पहली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकवे रेक्लेमेशन, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-400020. जोखिम घटकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर/प्रॉसपैक्टस को पढ़ लें. ऊपर दर्शाये लोगो एचडीएफसी लि. और अर्गो इंटरनेशनल एजी के हैं तथा कंपनी द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत इनका इस्तेमाल किया गया है. यूआईएन: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 | CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18. UID: 11595.

कृषि विभाग राजस्थान DOA | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | HDFC ERGO

आज़ादी का अमृत महोत्सव | RajKisan Saathi

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित

सुरक्षित किसान, राष्ट्र का अभिमान

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

प्रश्न: फसल बीमा कौन करवा सकता है ?

उत्तर: ऋणी एवं गैर–ऋणी (बटाईदार / साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर–ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता है तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए निर्धारित प्रपत्र (Opt-Out) में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे **रबी 2022–23** के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाये। जिसके लिए आवेदन की अन्तिम तिथि **24 दिसंबर 2022** है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी ?

उत्तर: बीमित राशि गत 7 वर्षो के जिला स्तर के उपज में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षो के उपज के औसत को न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुना के अनुसार तथा जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है उनके लिए बाजार भाव से गुणा कर तय की गयी है।

प्रश्न: फसल बीमा के लिए कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है ?

उत्तर: खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत।

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन–कौन से जोखिम शामिल हैं ?

उत्तर: **1) फसलों की बाधित बुवाई/रोपण ना कर पाना/असफल अंकुरण जोखिम:** बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना ।

2) खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।

3) फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गठ्ठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है।

4) स्थानीय आपदाएं: योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसान के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन–कौन से जोखिम शामिल नहीं हैं ?

उत्तर: योजना के अन्तर्गत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिमों को (योजना से) बाहर रखा जाएगा।

प्रश्न: इस योजना के तहत गैर–ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकतें हैं ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर–ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/ बीमा कम्पनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल – https:/www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

प्रश्न: गैर–ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं ?

उत्तर: गैर–ऋणी किसानों को अधिसूचना अनुसार नवीनतम जमाबंदी की नकल (पटवारी द्वारा सत्यापित), आधार कार्ड, स्व–प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमे खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार एवं बटाई) अंकित कर प्रस्तुत करना होगा, भू–स्वामी से घोषणा पत्र/अनुबंध (पट्टे की भूमि के मामले में), बैंक पास बुक की कॉपी जिसमें IFSC Code एवं खाता संख्या अंकित हो या खाते की रद्द (Cancelled) चेक, बटाईदार एवं भू–स्वामी की आधारकार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति, बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त शपथ पत्र एवं राजस्थान का मूल निवास प्रमाणपत्र की प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या हैं ?

उत्तर: मुख्य फसलों के लिए बीमा इकाई पटवार मंडल स्तर एवं अन्य फसलों के लिए बीमा इकाई तहसील स्तर है।

प्रश्न: स्थानीक आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया क्या हैं ?

उत्तर: प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के **72 घण्टे** के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के **टोल फ्री नम्बर 1800 266 0700/क्रॉप इंश्योरेंश ऐप** के माध्यम से अथवा लिखित में विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित प्रारूप में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। यदि **72 घण्टे** में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो कृषक द्वारा **7 दिवस** में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को देना आवश्यक होगा परन्तु **72 घण्टे** में सूचना देना अति आवश्यक है ।